न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकंला जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रकरण संख्या – 94/2019 पीठासीन अधिकारी – राजकेश मीना (आर.ए.एस.)

उनवान

1 गजेन्द्र सिंह पिता बाघसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी गणपतिया खेडा तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
2 नरेन्द्र सिंह पिता बाघसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी गणपतिया खेडा तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
3 महेन्द्र सिंह पिता बाघसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी गणपतिया खेडा तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
4 राजेन्द्र सिंह पिता बाघसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी गणपतिया खेडा तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा

———(प्रार्थीगण)

बनाम

1 सुरेन्द्र सिंह पिता गिरधर सिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी गणपतिया खेडा तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
2 महीपाल सिंह पिता गिरधर सिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी गणपतिया खेडा तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
3 कान सिंह पिता गिरधर सिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी गणपतिया खेडा तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
4 गणपत सिंह पिता गिरधर सिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी गणपतिया खेडा तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
5 विरेन्द्र सिंह पिता गिरधर सिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी गणपतिया खेडा तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
6 भरत सिंह पिता गिरधर सिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी गणपतिया खेडा तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
7 कृष्णगोपाल सिंह रामस्वरूप ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी गणपतिया खेडा तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
8 शम्भू सिंह पिता राधा किशन दरोगा उम्र वयस्क निवासी गणपतिया खेडा तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
9 भागीरथ पिता नन्दा गुर्जर उम्र वयस्क निवासी गणपतिया खेडा तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
10 अजयपाल सिंह पिता भंवर सिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी गणपतिया खेडा तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा– डिलीट
11 जगदीश कंवर पत्नि भंवर सिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी गणपतिया खेडा तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा– डिलीट
12 भूमिधारी तहसीलदार फुलियाकलां जिला भीलवाडा

————(अप्रार्थीगण)

उपस्थित–

श्री विजय पाराशर ——— प्रार्थी अधिवक्ता

अनुपस्थित–

श्री लालाराम गुर्जर ——— अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 06 अधिवक्ता

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात

निर्णय

दिनांक – 22.06.2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय मे दिनांक 20.11.2019 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम गणपतिया खेडा पटवार मण्डल सणगारी भू.अ.नि. फूलियाकलां तहसील फुलियाकंला मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 2 के आ.न. 622, 624, 714, 905/618, 906/617, 912/623 किता 6 रकबा 2.62 हैक्टयर, भूमि स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसीगण हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे कि प्रार्थीगण अपने सहखातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
फूलिया कलाँ, जिला–भीलवाडा

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 26.11.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षी कम 10, 11 को छोडकर शेष समस्त विपक्षीगणो को जारी नोटीस वाद तामील लौटकर प्राप्त, जिन्हे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षी संख्या 07, 08, 09 सूचना के वावजूद नियत पैशी पर अनुपस्थित रहने से विरूद्ध विपक्षीगण एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। विपक्षी कम 10, 11 की तामील अदम लौटकर प्राप्त , पुनः भरकर प्रस्तुत करने हेतु कहे जाने पर अविवक्ता प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी कम 10, 11 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही चाहने का कथन रखते हुए प्रमाण में आदेशिका पर इसका अंकन कर हस्ताक्षर किये गये। प्रार्थीगण का निवेदन स्वीकार कर प्रा.पत्र में विपक्षी कम 10, 11 का नाम लाल स्याही से डिलीट किये जाने की आज्ञा पारित की गई। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 06 की ओर से अधिवक्ता श्री लालाराम गुर्जर द्वारा अधिकार पत्र व जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया जिसे रिकार्ड पर लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी क्रम 01 से 06 की ओर से जरिये अधिवक्ता खण्डन/प्रतिरोध स्वरूप प्रस्तुत किये गये जवाब में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि पिछले 70–75 वर्षो से ही वादग्रस्त खसरान पर अप्रार्थीगण काविज हो भूमि का उपभोग उपयोग करते चले आ रहे है। पारिवारिक विभाजन पश्चात विवादित भूमि अप्रार्थीगण के हिस्से में आ गई थी। महज प्रार्थीगण का नाम अभिलेखों में होने मात्र से प्रार्थीगणों को खसरान की पत्थरगढी कराने का अधिकार नही है। मौके पर कब्जे को लेकर प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय श्रीमान में गलत तथ्य प्रस्तुत किए गये है। न्यायालय यदि इस मौजूदा प्रार्थनापत्र में कराये जाने पत्थरगढी के आदेश पारित करता है तो यह विधि विरूध होगा ओर मौके पर कब्जे को लेकर विवाद की स्थिति ओर भी अधिक होगी। अतः सादर निवेदन है प्रार्थनापत्र प्रार्थी इसी स्तर पर अस्वीकृत किया जावें।

प्रार्थीगण के नियुक्त विद्वान अभिभाषक ने सुनवाई पर अपने अभिवचनों से उनके द्वारा प्रस्तुत किए गये प्रार्थनापत्र को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया। जिन्हे सुना जाकर उनके तर्को पर मनन/चिंतन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर खण्डन स्वरूप प्रस्तुत जवाब प्रार्थनापत्र एवं अपने अपने समर्थन में प्रस्तुत कराये गये दस्तावेजी साक्ष्यों का अध्ययन/परीक्षण किया गया।

उपरोक्त विवेचन/विश्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचता है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र बाबत कराये जाने पत्थरगढी आराजीयात प्रस्तुत किया गया है। जबकि मौके पर सम्पूर्ण रूप से अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 06 काबिज है। यानि विवाद मौके पर सीमा चिन्ह को लेकर नही बल्कि सम्पूर्ण कब्जे को लेकर है। जिसका निर्धारण इस प्रार्थनापत्र के माध्यम से नही किया जा सकता है, ओर रहा प्रश्न भूमि पर कब्जा दिलाये जाने का, तो उस दशा में खातेदारान/प्रार्थीगणों को उपयुक्त अधिनियम एवं धारा के तहत सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर इम्दाद हासिल करनी चाहिए। इस मौजूदा प्रार्थनापत्र से प्रार्थीगणों को किसी प्रकार का अनुतोष दिया जाना न्यायालय उचित नही समझता है।

आदेश

अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 पोषणीय नही होने से, प्रार्थनापत्र में आगे की कार्यवाही इसी स्थगित कर, प्रार्थनापत्र को अस्वीकार किये जाने की आज्ञा दी जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
फुलियाकला, जिला भीलवाडा